संख्याः जीएडी–बी (एफ) 7–1/2016–II
हिमाचल प्रदेश सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
जीएडी अनुभाग–ख

प्रेषक

अति मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

प्रेषित

समस्त प्रशासनिक सचिव
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

दिनांक , शिमला–2, 30-03-2017

विषयः हि0प्र0 राजपूत कल्याण बोर्ड की दिनांक 21.1.2017 को माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में धर्मशाला में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही विवरण ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे हि0प्र0 राजपूत कल्याण बोर्ड की दिनांक 21.1.2017 को माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में प्रयास भवन, धर्मशाला में सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही विवरण की प्रति आपको भेजते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि आप अपने विभाग से सम्बन्धित मदों बारे आवश्यक कार्यवाही तुरन्त अमल में लाने की कृपा करें तथा कृत कार्यवाही की सूचना इस विभाग को उपलब्ध करवाए ।

भवदीय

(सुरेन्द्र कुमार)
उप सचिव (सामान्य प्रशासन)
हिमाचल प्रदेश सरकार
दूरभाष–0177–2622186

पृष्ठांकन संख्याः उपरोक्त दिनांक शिमला–2.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ हेतु अग्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2.
2. प्रधान सलाहकार, मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2.
3. प्रधान निजी सचिव, मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश शिमला–2.
4. निजी सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मन्त्री हिमाचल प्रदेश शिमला–2.
5. समस्त गैर–सरकारी सदस्य हि0प्र0 राजपूत कल्याण बोर्ड ।
6. समस्त उपायुक्त, हि.प्र.

उप सचिव (सामान्य प्रशासन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

हि0 प्र0 राजपूत कल्याण बोर्ड की माननीय मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 21.01.2017 को धर्मशाला में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :—

विशेष सचिव (सामान्य प्रशासन) द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष माननीय मुख्य मंत्री, उपाध्यक्ष माननीय समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री व अन्य उपस्थित गणमान्य सदस्यों व अधिकारी गणों का स्वागत किया गया । तत्पश्चात बोर्ड के उपाध्यक्ष माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बैठक में उपस्थित मा0 मुख्य मंत्री महोदय व अन्य सभी गणमान्य सदस्यों व अधिकारी गणों का स्वागत किया व माननीय मुख्य मंत्री महोदय का विशेष रूप से बैठक में उपस्थित होने के लिए आभार व्यक्त किया ।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों व अधिकारीगणों का अपना संदेश देते हुए सकारात्मक चर्चा का आग्रह किया तथा बैठक में लिए गए निर्णयों पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये । तदोपरान्त अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से विभिन्न मदों पर निम्नलिखित निर्णय लिए गए:—

मद्द संख्या 1: प्रथम व द्वितीय बैठक की अनुवर्ती मददों की समीक्षा:—

1. **आर्थिक आधार पर आरक्षण सुविधा प्रदान करना:** कुछ सदस्यों का यह मत था कि सरकारी सेवा में पिछड़ी एवं अनुसूचित जनजाति के आधार पर दिए जा रहे आरक्षण के साथ—साथ आरक्षण सुविधा किसी भी परिवार की आर्थिक दशा पर भी आधारित होनी चाहिए ताकि सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को भी आरक्षण सुविधा के लाभ प्राप्त हो सके ।

निर्णय:— प्रदेश सरकार द्वारा श्रेणी III—IV के सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों में बी.पी.एल. परिवारों के सदस्यों के लिए 15% आरक्षण का प्रावधान किया गया है । जिसके अन्तर्गत सभी समुदायों व जातियों के बी.पी.एल. परिवारों के सदस्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं ।

जहां तक आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान किए जाने बारे प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्ताव भारत सरकार से उठाए जाने का सम्बन्ध है इस बारे दिये गए **विभागीय उत्तर से सन्तुष्ट न होते हुए सदस्यों द्वारा पुनः आग्रह किया गया कि इस प्रस्ताव को विधान सभा से पास करवा कर भारत सरकार से उठाए जाने की पहल की जानी चाहिए साथ ही यह अनुरोध भी किया गया कि BPL श्रेणी में आरक्षण हेतु जाति आधार पर अलग से 2 नम्बर अलग से** मेरिट के लिए नहीं दिए जाने चाहिए।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मामले पर विचार किए जाने का आश्वासन दिया ।

(कार्मिक विभाग)

2. विभिन्न सरकारी योजनाओं में आर्थिक आधार पर लाभ : सदस्यों द्वारा यह मांग की गई कि सरकार की विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु आर्थिक आधार निश्चित किया जाना चाहिए, जिसमें विशेष कर इन्दिरा/ राजीव आवास योजना का उल्लेख किया गया ।

सरकारी विभागों द्वारा उपरोक्त मामले पर उठाए गए कदमों का व्यौरा निम्न प्रकार से है :

(क) **ग्रामीण विकास विभाग** :– वर्तमान में प्रदेश में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इन्दिरा आवास योजना तथा राजीव गांधी आवास योजना का कियान्वयन किया जा रहा है जिन में अर्थिक रूप से कमजोर , उच्च जाति के लोगों को भी इन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है । इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2016.17 से मुख्य मन्त्री आवास योजना शुरू की जा रही है जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर उच्च जाति के लोगों को लाभ दिए जाने का प्रावधान है ।

(ख) **नगर एवं ग्राम योजना विभागः**– हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम, 2014 के नियम 16 के अर्न्तगत भवन के मानचित्र पारित करवाने हेतु कमजोर वर्ग के लोगों से कोई फीस प्रभारित नहीं की जाती है। साथ ही इन नियमों के परिशिष्ट–1 में कमजोर वर्ग के लोगों हेतु प्लाटो का न्यून्तम क्षेत्र 60 वर्ग मीटर तक इनकी सुविधा हेतु नियत किया गया है।

(ग) **आयुर्वेद विभागः**– आयुर्वेद विभाग द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना व मुख्य मन्त्री स्टेट हैल्थ केयर स्कीम का लाभ दिया जा रहा है । राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे व मुख्य मन्त्री स्टेट हैल्थ केयर योजना के तहत 80 वर्ष से ऊपर, एकल नारियाँ, आँगनबाडी कार्यकर्त्ता / सहायक, मिड डे मील वर्कर, दैनिक वेतन भोगी , अनुबन्ध कर्मचारियों व 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वालों को भी लाभ दिया जा रहा है ।

(घ) **उद्यान विभाग** :– प्रदेश के अधिकतर बागवान लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते है । राज्य योजना के अन्तर्गत उद्यान सामग्री पर अनुसूचित जाति , जन जाति व पिछड़ा वर्ग के बागवानों को 50 प्रतिशत तथा सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त बागवानों को कमशः 25 व 33 प्रतिशत अनुदान सहायता प्रदान की जाती है इसके अलावा विभाग द्वारा संचालित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों जैसे कि बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत समस्त बागवानो को समान रूप से अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है ।

(ड) **खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** :– विभाग प्रदेश की समस्त जनता को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली व राज्य अनुदानित योजना के अन्तर्गत खाद्यान, चीनी, दाले, तेल व नमक निर्धारित मूल्य व मात्रा अनुसार आवंटित कर रहा है ।

(च) **शहरी विकास विभागः**– शहरी विकास विभाग में दो ऐसी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें चल रही है जिनका सम्बन्ध किसी विशेष जाति व वर्ग से न होकर केवल आर्थिक आधार पर निश्चित है। ये दोनों योजनाएं इस प्रकार हैः–

(क) राष्ट्रीय (शहरी) आजीविक मिशनः–न्यूनतम आय रू0 1.00–2.00 लाख तक (EWS&LIG) वार्षिक आय वर्ग वाले इसके पात्र है।

(ख) प्रधान मन्त्री आवास योजना (सभी के लिए आवास):– इस स्कीम में पात्रता मु0 3.00 लाख रूपये तक (LIG)वर्ग वाले व्यक्ति इसके पात्र होंगे।

निर्णयः इस मद पर दिए गए विभागीय उत्तर के दृष्टिगत चर्चा के दौरान यह अवगत करवाया गया कि 25 करोड़ का बजट मुख्य मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 10 ज़िलों (किन्नौर व लाहौल स्पिति के अलावा) को आबन्टित कर दिया गया है जिसके कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक ब्लॉक स्तर को निर्देश जारी कर दिए गए है । मुख्य मंत्री महोदय द्वारा यह आश्वायन दिया गया कि इस योजना के तहत आर्थिक आधार पर ही लाभ प्रदान किया जाएगा।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग)

3. प्रत्येक ज़िला स्तर पर महाराणा प्रताप भवन निर्मित करने हेतु सरकारी भूमि/ सहायता प्रदान करना : – सदस्यों द्वारा यह मांग की गई की प्रत्येक ज़िला स्तर पर राजपूत समुदाय को बैठक के आयोजन के लिए एक निश्चित स्थान उपलब्ध करवाने हेतु महाराणा प्रताप भवन निर्मित करने हेतु सरकारी भूमि/ सहायता प्रदान की जानी चाहिए । मण्डी में महाराणा प्रताप स्टेडियम के भूमि आबन्टन मामले का विशेष उल्लेख किया गया जिसके भूमि आबन्टन के लम्बित मामले बारे उपायुक्त मण्डी को कानून के मुताबिक भूमि आबन्टन बारे उचित कार्रवाई के निर्देश देने बारे अनुरोध किया।

विभागीय उत्तरः

उपायुक्त ऊना से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जिला स्तर पर महाराणा प्रताप भवन निर्मित करने हेतु भुमि का चयन/नियमानुसार औपचारिकताऐं पूर्ण करके भूमि आबंटन हेतू मामला सम्बन्धित संस्था द्वारा उपायुक्त कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है इस कार्यालय में राजपूत समुदाय से ऐसा कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । जब भी ऐसा कोई मामला प्राप्त होगा, उस पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाऐगी ।

निर्णयः अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ने बैठक में सदस्यों को अवगत करवाया कि हि0प्र0 पट्टा नियम,2013 में यह प्रावधान है कि सरकार किसी भी संस्था या व्यक्ति विशेष को रियायती दरों पर भूमि पट्टे पर आबन्टित कर सकती है परन्तु यह स्वीकृति मंत्रीमण्डल के अनुमोदन से ही प्रदान की जा सकती है । इसलिए सभी उपायुक्तों को यह निर्देश दिए गए कि जब भी कोई संस्था हि0प्र0 पट्टा नियम,2013 के अधीन आवेदन करे तो वह

औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रस्ताव तुरन्त प्रशासनिक विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित करे ।

मण्डी में महाराणा प्रताप स्टेडियम के भूमि आबन्टन मामले में ADC मण्डी को एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए ।

(राजस्व विभाग / समस्त उपायुक्त / उपायुक्त मण्डी)

4. Land Tenancy Act,1972 से (adversely affected) प्रभावित परिवारों के एक बच्चे को सरकारी रोज़गार का प्रावधानः Land Tenancy Act,1972 के तहत जिन लोगों की ज़मीने गई हैं उन परिवारों को identify किया जाए व कमजोर आर्थिक दशा से गुजर रहे ऐसे परिवारों में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने का प्रावधान किये जाने की मांग की गई।

विभागीय उत्तरः अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि Land Tenancy Act, 1972 के तहत जिन भू–मालिकों की भूमि मुजारों में निहित हो गई थी उन्हें इस अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार मुआवज़ा (compensation) दिया गया था ।

जहां तक किसी विशेष श्रेणी को नौकरी दिए जाने का प्रश्न है इस बारे उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह संविधान के प्रावधनों के अनुसार ही determine किया जा सकता है ।

सदस्यों द्वारा यह आग्रह भी किया गया कि इस अधिनियम के कारण जिनकी भूमि मुजारों में पूर्णतयः निहित हो गई व जिनके पास खेती योग्य बिल्कुल भी भूमि नहीं बची है, कम से कम ऐसे गरीब परिवारों के लिए सरकार इस अधिनियम को review करे व ऐसे परिवारों के एक सदस्यों को नौकरी का प्रावधान किया जाए। इसका उत्तर देते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ने यह स्पष्ट किया कि बदले हुए परिवेश में Land Reforms & Tenancy अधिनियम में कई संशोधन वान्छित हैं जो कि एक लम्बी प्रकिया है व इस अधिनियम में संशोधन राष्ट्रपति महोदय के अनुमोदन से ही किया जा सकता है ।अतः मामला प्रकियाधीन है व इसके पूर्ण होने में समय लगेगा।

इस अधिनियम के तहत **adversely affected** लोगो को सरकार द्वारा **Identify** किए जाने की अपेक्षा लोगों को स्वयं सरकार को आवेदन किए जाने हेतु कहा गया।

अतः विस्तृत चर्चा उपरान्त मद समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

(राजस्व विभाग)

5. राजपूत समुदाय की मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु ऋण सुविधाः आर्थिक दृष्टि से कमजोर राजपूत कन्याओं को उच्च शिक्षा के लिए ब्याज़ मुक्त ऋण तथा राजपूत लड़को को न्यूनतम ब्याज़ दर पर ऋण का प्रावधान किये जानें की मांग की गई। राजपूत परिवारो के बच्चे में ऊँची तकनीकी तथा वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देने की अत्यन्त आवश्यकता है । परन्तु ऐसी शिक्षा बहुत मंहगी है । अतः निर्धन परिवारो के बच्चों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिये उपायों पर विचार किया जाना चाहिए। छात्रवृत्तियों में उदारता लाने का तरीका अपनाया जाये ।

(श्री पुरूषोत्तम ठाकुर, गैर सरकारी सदस्य बोर्ड)

विभागीय उत्तरः अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा) ने बैठक में अवगत करवाया कि सरकार द्वारा सभी वर्ग के मेधावी छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु मैरिट सूची के अनुसार विभिन्न छात्रवृति योजनाओं के अतंर्गत छात्रवृतियाँ व अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं । इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा हेतु 4% ब्याज दर पर बैंक ऋण सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु मुख्य मंत्री ज्ञानदीप योजना का विशेष उल्लेख किया गया ।

निर्णयः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद्द समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

शिक्षा /वित्त विभाग

6. **तलवाड़ा में स्थापित महाराणा प्रताप की प्रतिमा का सुधारः** तलवाड़ा में स्थापित महाराणा प्रताप की प्रतिमा का सुधार किये जाने की मांग की गई । अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रतिमा के सुधार बारे सहमति दी गई ।

विभागीय उत्तर :– इस मद्द पर हुए निर्णय के दृष्टिगत इस प्रतिमा के निरीक्षण हेतु विभाग के पुरातत्व अभियन्ता तथा अतिरिक्त सहायक अभियन्ता को मौके पर भेजा गया था । उनके अनुसार इस मूर्ति का केवल रंग उतर गया है इसलिए यह देखने में भददी लग रही है। इस प्रतिमा को अन्य कोई नुकसान नहीं हुआ है। यह पूरी तरह से अक्षुण्ण है। इसे केवल रंग रोगन की आवश्यकता है। उपायुक्त कांगड़ा के कार्यालय के पत्र संख्याः ए(19)–455/विविध शाखा दिनांक 09.02.2016 द्वारा सम्बन्धित उपमण्डल अधिकारियों की अध्यक्षता में महापुरूषों की प्रतिमाओं और स्मृति चिन्हों के रखरखाव बारे समितियों का गठन किया हुआ है । सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी को इस प्रतिमा का रंगरोगन करवाकर विभाग को अविलम्ब सूचित करने और हर वर्ष महाराणा प्रताप

की जयंती से पूर्व इस प्रतिमा का रंगरोगन करवाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए है ।

निर्णयः– विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद्द समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

(भाषा एवं संस्कृति विभाग)

7. **राजपूत कल्याण बोर्ड की अलग website** : राजपूत कल्याण बोर्ड की अलग website की मांग की गई जिसमें सदस्यों की सूची upload की जानी चाहिए।

विभागीय उत्तर

विभाग में जिन सदस्यों से पहचान पत्र जारी करने हेतु दस्तावेज प्राप्त हुए उन सभी को पहचान पत्र जारी कर दिए गए है।

निर्णयः– विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद्द समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

(सामान्य प्रशासन विभाग)

8. **लांगणा पंचायत में हि.प्र. सहकारी बैंक की शाखा खोलने बारे** : लांगणा पंचायत में हि.प्र. सहकारी बैंक की शाखा खोलने बारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दिए गए आश्वासन को कार्यान्वित किए जाने की मांग की गई ।

इस सन्दर्भ में अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को अवगत करवाया की बैंक शाखा खोलने बारे सहकारी बैंक को लिखा है जिसका survey रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की अनुमति से किया जाता है। मामले की वर्तमान स्थिति पता की जाएगी ।

विभागीय उत्तर :

सदस्यों को यह अवगत करवाया कि ग्राम पंचायत लांगणा में बैंक शाखा खोलने हेतु हि० प्र० राज्य सहकारी बैंक सीमित द्वारा सर्वे करवाया गया था । यह स्थान भारतीय रिज़र्व बैंक के नियमों के तहत बैंक की शाखा खोलने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया ।

निर्णयः– विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद्द समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

(सहकारिता विभाग)

9. **लांगणा पंचायत में सड़क सुविधा**: लांगणा पंचायत में 150–200 हरिजन परिवार सड़क सुविधा से वंचित है, जिसके लिए बजट में प्रावधान किए जाने बारे अनुरोध किया गया।

विभागीय उत्तर : सदस्यों को यह अवगत करवाया कि लांगणा पंचायत के अर्न्तगत हरिजन बस्ती के लिए जीप योग्य सम्पर्क सड़क बना दी गई है।

निर्णय : विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

(लो.नि.विभाग)

10. The Social bodies which have been provided Govt. land for construction of their Bhawans/Offices on lease basis , on payment of lease money these Social bodies may not be burdended with the increased rates of lease money. The increased rates of lease money may be charged from other societies/organisation dealing with financial matter or which are involved in business activities.

(Sh. Tek Chand Rana, non official member)

निर्णय: अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ने सभी उपायुक्तों को ये निर्देश दिए कि यदि संस्था हि0प्र0 पट्टा नियम, 2013 के तहत आवेदन करती है तो सम्बन्धित उपायुक्त ऐसे मामलों को सरकार को निर्णय हेतु अग्रेषित करेंगे ।

(राजस्व विभाग / समस्त उपायुक्त)

11. There shall be a complete ban for sale/ mortgage of land allotted to landless persons or otherwise by the Govt. and in case of any breach thereof allotted land shall revert back to the State Govt. instead of its transfer /mortgage to concerned original allottee.

(Sh.Tek Chand Rana, non official member)

विभागीय उत्तर: अति0 मुख्य सचिव (राजस्व) ने बैठक में अवगत करवाया कि भूमिहीनों को आबन्टित भूमि को एक निर्धारित अवधि तक तो बेचने पर रोक थी । यह अवधि अब समाप्त हो चुकी है क्योंकि वर्ष 1990 के पश्चात कोई भूमि आबन्टित नहीं हुई है । अब केवल आवासहीनों को मकान बनाने के लिए ही शहरी क्षेत्र में 2 व ग्रामीण क्षेत्र में 3 बिसवा भूमि आबन्टित किए जाने का प्रावधन है , जिसे बेचने पर पूर्ण रोक है । यह भूमि मालिक के बाद उनके वैध वारिस के नाम पर स्थानान्तरित हो

जाती है , यदि कोई वैध वारिस न हो तो यह स्वतः ही सरकार को वापिस निहित हो जाएगी ।

निर्णयः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद्द समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

(राजस्व विभाग)

12. **Amendment in H.P. Tenancy and Land Reform Act. 1972 :-** The provisions of H.P. Tenancy and Land Reform Act. 1972 may be relaxed by amendment so that the small land owners possessing land to the extra of five to ten kanals are exempted from the purview of the said Act so that the land in the State may be saved from being turning barren. Further, the Owener/Tenent shall not be permitted to sell the land at any cost and in case of breach thereof, the land shall vest in the State Govt. or revert back to the land owners concerned.

(Sh.Tek Chand Rana, non official member)

विभागीय उत्तरः इस विषय पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ने बैठक में अवगत करवाया कि इस अधिनियम में 2006 में धारा 30 में यह प्रावधान किया गया है कि सीमान्त एवं लघु किसान जो अपनी भूमि पर किसी भी कारण से कृषि करने के योग्य नहीं हैं वह अपनी भूमि को मालिकाना title में परिवर्तन किए बगैर आगे काश्तकारी के लिए tenancy अथवा पट्टे पर दे सकते हैं । उन्होने यह भी अवबत करवाया कि **Tenancy Act में संशोधन किए जाने बारे कार्रवाई की जा रही है** ।

निर्णय : विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद्द समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

(Rev. Deptt.)

13. **सरकारी नौकरी के बाद पदोन्नति में आरक्षण को तुरन्त बंद किया** :– माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गये एतिहासिक फैसले जिसमें सरकारी नौकरी के बाद पदोन्नति में भी आरक्षण को तुरन्त प्रभाव से बंद करने के स्पष्ट आदेश हैं, को तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए ।

(श्री प्रेम सिह ठाकुर / श्री के एस जमवाल गैर सरकारी सदस्य बोर्ड)

विभागीय उत्तर : सदस्यों को यह अवगत करवाया गया कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को संविधान में निहित प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण प्रदान कर रही है और संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन करना राज्य सरकार की परिधि में नहीं आता ।

यद्यपि राज्य सरकार ने 85 वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पदधारियों को राज्य सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण प्रदान न करने का निर्णय लिया हैं।

उक्त के अतिरिक्त अति० मुख्य सचिव (कार्मिक) ने बैठक में अवगत करवाया कि मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित है जिसमें संविधान के 85वे संशोधन के सभी पहलुओं पर विचारोपरान्त इस विषय पर उचित निर्णय लिया जाएगा ।

निर्णयः– इस विषय पर स्थिति आज भी यथावत है व विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद्द समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

(कार्मिक विभाग)

14. **जिला मण्डी में केन्द्र सरकार द्वारा निर्मित ESI अस्पताल का नाम महाराणा प्रताप के नाम पर रखा** जाये ताकि भारतवर्ष के इस वीर सपूत को लोग जाने ।

(श्री गंगा ठाकुर, गैर सरकारी सदस्य बोर्ड)

निर्णयः जिला मण्डी में केन्द्र सरकार द्वारा निर्मित **ESI** अस्पताल का नाम रखा जा चुका है । अतः मद समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

(स्वास्थ्य विभाग)

15. **बोर्ड के सदस्यों को जारी पहचान पत्र सचिवालय में प्रवेश हेतू वैध** माने जाये ।

(श्री गंगा ठाकुर, गैर सरकारी सदस्य बोर्ड)

विभागीय उत्तरः– सुरक्षा के दृष्टिगत सचिवालय में प्रवेश हेतु पूर्व प्रणाली को ही जारी रखा गया है ।

निर्णयः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद्द समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

(सचि०प्रशा० विभाग)

16. Scrapping of Govt. incentive for inter cast marriages.

(Sh. K.S.Jamwal, non official member)

विभागीय उत्तर : इस मद्द पर चर्चा के दौरान सचिव (सामाजिक न्याय उवं अधिकारिता विभाग) ने सदस्यों को अवगत करवाया कि योजना के दुरूपयोग पर रोक लगाने हेतु यह अवगत करवाया कि अर्न्तजातिय विवाह पुरस्कार योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति तथा अन्य जातियों के मध्य विवाह को बढ़ावा दे कर छुआछुत की कुप्रथा को समाप्त करना है । परन्तु इस योजना के अन्तर्गत 50,000/– रूपये की जो राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है उसे प्राप्त करने के बाद विवाह टूट जाते हैं व इस नीति के पीछे की सरकार का उद्देश्य विफल हो रहा है इसलिए सदस्यों ने अर्न्तजातिय विवाह पुरस्कार योजना के अन्तर्गत सरकारी प्रोत्साहन को रद्द करने का आग्रह किया ।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्बन्धित विभाग को इस योजना के दुरूपयोग पर रोक लगाने हेतु आदेश जारी किये जिस पर सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) ने बैठक मुं अवगत करवाया कि इस योजना का लाभ एकमुश्त न देकर विवाह की सफलता की पुष्टि करते हुए तीन वर्षों में 20:20:60 की ratio में release किया जाता है ।

निर्णय : सदस्यों द्वारा incentive वापिस लिए जाने के आग्रह करने पर इस मामले पर पुनः विचार करने का निर्णय लिया गया ।

(SJ&E Deptt.)

17. Setting up of Special Commission for the welfare of deprived Rajput Community on the analogy of S/C and S/T commission.

(Sh.K.S.Jamwal, non official member)

विभागीय उत्तर– परीक्षण उपरान्त निर्णय लिया गया कि अलग से Commission गठित करने का कोई औचित्य नहीं है ।

निर्णय :चर्चा उपरान्त आयोग की स्थापना हेतु सम्बन्धित विभाग मामले की पुनः जांच करेगा ।

(GAD)

18. To curb monkey, stray dogs and cattle menance.

(Sh. Tek Chand Rana, non official member)

निर्णयः– विस्तृत चर्चा उपरान्त इस विषय पर अध्यक्ष महोदय द्वारा बन्दरों द्वारा पहुँचाएं जा रहे नुकसान की रोकथाम हेतु वन विभाग को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए कि बन्दरों को जिस जंगल से नसबन्दी के लिए पकडा जाए उन्हें वापिस उसी जंगल में छोड़ा जाए तथा सड़क के किनारे बन्दरों को खाने की चीज़े डालने पर रोक को कार्यान्वित करने हेतु भी उचित पग उठाने के निर्देश दिए गए ।

अन्य आवारा पशुओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों के साथ– सभी को सहयोग देने के लिए भी कहा गया ताकि इस समस्या का समाधान हो सके ।

(Forest/ UD/RD /PWD/Rev./ Animal Husbandry Deptt.)

विभागीय उत्तर :–

सरकार ने बन्दरों की समस्या का निवारण करने हेतु कई कारगर कदम उठाए है जैसे:–

(क) वन विभाग:–

1. बन्दरों की नसबन्दी की जा रही है इसके लिए प्रदेश में 8 बन्दर नसबन्दी केन्द्र कार्यरत हैं दिनांक 17.07.2016 तक 1,10,225 बन्दरों की नसबन्दी की जा चुकी है। बन्दरों को नसबन्दी हेतु जिस स्थान से लाया जाता है, नसबन्दी उपरान्त उसी स्थान पर छोड़ा जाता है ।
2. बन्दरों को जंगलों में ही खाद्य सामग्री मिल सके इसके लिए समस्त सभी मुख्य अरण्यपाल/अरण्यपाल/वन मण्डल अधिकारी (क्षेत्रीय एवं वन्यप्राणी) को निर्देश दिए गए है कि जंगलों में फलदार पौधे व झाड़ियां रोपित किये जाएं। इसका लाभ कुछ वर्षो में मिलना शुरू हो जायेगा ।
3. भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.05.2016 द्वारा प्रदेश की 38 तहसीलों में एक वर्ष के लिए बन्दरों को पीड़क जन्तु घोषित किया है इस बारे समस्त सभी मुख्य अरण्यपाल/अरण्यपाल/वन मण्डल अधिकारी (क्षेत्रीय एवं वन्यप्राणी) को दिशानिर्देश जारी कर दिए गए है ।
4. साईन बोर्ड, रेडियो व दूरदर्शन आदि के माध्यम से भी लोगों को जागृत किया जाता है कि बन्दरों को खाद्य सामग्री न डालें ।
5. जहां तक प्राइवेट पार्क खोलने का सम्बन्ध है इस बारे विभाग ने एक प्रस्ताव केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु भेजा था लेकिन केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली की गाइडलाईन के अनुसार इन प्राणियों को 30 दिन से अधिक पार्क में नही रखा जा सकता जोकि एक चिडियाघर की परीधि में आता है । इसके लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण व माननीय सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है जोकि एक जटिल प्रकिया है, क्योंकि पहले ही प्रदेश में बहुत से चिड़ियाघर मौजूद है।

(ख) पशु पालन विभाग :–माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पशु पालन विभाग द्वारा आवारा पशुओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है तथा पशु कल्याण से सम्बन्धित नियमों का प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जा रहा है।

निर्णयः– इस मद्द पर सरकार द्वारा किये गए प्रयासों की विस्तृत जानकारी माननीय वन मंत्री महोदय द्वारा सदस्यों को दी गई व इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा सदस्यों को सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के अन्तर्गत यह भी अवगत करवाया गया कि बन्दरों व आवारा पशुओं की समस्या के समाधान हेतु सोलर एनर्जी से current flow करने वाली बाढ़ तैयार करने हेतु experiment किया जा रहा है जिसे छूने से जानवर को करन्ट लगेगा जिससे वह उसके नज़दीक नहीं आएगा ।

अतः विस्तृत चर्चा उपरान्त मद्द समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

(वन विभाग

19. Amendment in the provisions of the H.P. Societies Registration Act, 2006 may be considered to save the social bodies in the State already registered under the old Act. In the alternate the social bodies existing in the State may be permitted to be re-registered under the new Act., at the head quarters of the District as it is not possible for these bodies to ensure presence of fifty percent of the members in all such meetings of the said social bodies.

(Sh.Tek Chand Rana, non official member)

विभागीय उत्तरः विभाग द्वारा यह अवगत करवाया गया कि यह मामला उच्च न्यायालय में विभिन्न संस्थाओं द्वारा challenge किया गया है व न्यायालय से निर्णय प्राप्त होने पर मामले पर आगामी कार्यवाही की जाएगी ।

निर्णयः मामला न्यायाधीन होने के कारण , मद्द समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

(Coop. Deptt.)

20. **ग्राम पंचायत बन्दला के अन्तर्गत नए प्राईमरी स्कूल** खोलने बारे शिक्षा विभाग द्वारा यह निर्देश हुए थे कि नई पाठशाला खोलनी है तो भूमि दान के रूप में देनी पड़ेगी । पाठशाला के नाम पर 4 बिस्वा भूमि प्राईमरी स्कूल कीड़ा के नाम पर करवा दी गई है । अभी यहां के बच्चे रा0प्रा0पा0 लकड़ा में जाते है जहां के लिए बच्चों को 2 कि0मी0 पैदल चलना पड़ता है व बीच में जंगल का एरिया है और उसमें से बच्चों को जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता है । इस स्कूल को जल्दी से जल्दी खोला जाए ताकि गांव कीड़ा, बनाड़, सौथल के बच्चों को सुविधा मिल सके।

(श्री अक्षय कुमार, गैर सरकारी सदस्य बोर्ड)

विभागीय उत्तरः कीड़ा में प्राथमिक स्कूल खोल दिया गया है ।

निर्णयः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद्द समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

(शिक्षा विभाग)

21. **बन्दला पंचायत बस रोड़ के निर्माणः–** ग्राम पंचायत बन्दला एक अति पिछड़ा हुआ पहाड़ी क्षेत्र है । यदि बन्दला रोड़ से गांव सिरना, बदेगा, धन्धराडी, बैंगणा, लगोडी, फागडी, चलेई, बदेगा, मौरतो, बनगोटू इत्यादि 10 गांव के लिए बस रोड़ का निर्माण होता है तो कम से कम 2200 की आबादी को इस सड़क का लाभ होगा । लोक निर्माण विभाग द्वारा पहले भी इसका सर्वे किया जा चुका है इसकी लम्बाई 5 कि0मी0 तक बनती है जिसमें से 10 गांव को लाभ होगा और साथ ही ग्राम पंचायत चड़ी के 3–4 गांव भी लाभान्वित होगें ।

(श्री अक्षय कुमार, गैर सरकारी सदस्य बोर्ड)

विभागीय उत्तरः बन्दला रोड का सर्वे हो चुका है सम्बन्धित विभाग द्वारा रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है ।

निर्णय : मुख्य सचिव महोदय द्वारा लो0नि0 विभाग को तुरन्त आगामी कार्रवाई के आदेश पारित किए गए ।

(लो0नि0 विभाग)

22. **चोल्थरा जिला मंडी के सामुदायिक स्वास्थ्य भवन हेतु सड़क का निर्माण करने** हेतु पत्र जारी करें । वर्तमान में 800 मीटर लम्बी इस सड़क के निर्माण न होने के कारण इस भवन तक रोगी नही ले जा सकते और डॉक्टर व बाकी सारा स्टाफ होने के बावजूद यह चिकित्सा केंद्र सफेद हाथी ही बना हुआ है ।

(श्री प्रेम सिह ठाकुर, गैर सरकारी सदस्य बोर्ड)

विभागीय उत्तरः: चिकित्सा केंद्र तक सड़क का निर्माण कर दिया गया है ।

निर्णयः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद्द समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

(लो0नि0 विभाग)

23. **जिला मुख्यालय मण्डी से गांव तरनोह की सड़क को पक्का किया जाए तथा स्कूल के बच्चों को सरकारी बसों में मुफत यात्रा दी जाए :–** गांव तरनोह, जिला मुख्यालय मण्डी से 11–12 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है इस गांव की खपरेहडा से तरनोह/खड्ड कल्याण लिंक सड़क अभी तक कच्ची है जब वर्षा अधिक होती है तो सडक बन्द हो जाती है । सडक 5–6 गांव को जोडती है तथा इस गांवो में राजपूत बिरादरी के लोग रहते है सरकार से आग्रह है कि इस सड़क को पक्का

किया जाए तथा सरकार द्वारा स्कूल के बच्चों को मुफत यात्रा सरकारी बसों में दी जाए।

(श्री गंगा ठाकुर, गैर सरकारी सदस्य बोर्ड)

निर्णय : बैठक में अवगत करवाया गया कि बसों में स्कूली बच्चों को निःशुल्क यात्रा सुविधा तो उपलब्ध है परन्तु सड़क कच्ची होने के कारण अधिक वर्षा के मौसम में वहा बस नही आ पाती। इस सम्बन्ध में लो0नि0 विभाग के प्रमुख अभियन्ता ने अवगत करवाया कि इस सड़क में आई कुछ भूमि वन विभाग की है व वन विभाग से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात सड़क पक्की करने हेतु आगामी कार्यवाई की जाएगी । माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इस कार्य को CM priority में डालने के आदेश पारित किए गए ।

विभागीय उत्तर:: सड़क का निर्माण कर दिया गया है ।

निर्णयः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

(लोक निर्माण विभाग)

24. **पालमपुर उपमण्डल के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सपैडू से अवा खड्ड से कन्डूहल कुहल को पक्का करना व पशु औषधालय रछियाड़ा से श्री प्रभात चन्द के घर की ओर जीप योग्य सड़क बनवानाः** पालमपुर उपमण्डल के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सपैडू से अवा खड्ड से कन्डूहल कुहल चलती है यह कुहल निकटवर्ती दस पचायतों में रहने वाले किसानों की लगभग 1200 एकड़ भूमि को सिंचाई करती है । यह कुहल जगह–2 पर टूटी हुई है और कई जगह से पानी का रिसाव हो जाता है जिसके चलते किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है । अतः उक्त कुहल को पक्का किया जाए ।

पशु औषधालय रछियाड़ा से श्री प्रभात चन्द के घर की ओर (हरिजन बस्ती) जीप योग्य सड़क का बनना अति आवश्यक है । इस सड़क के बनने से लगभग 30 परिवार लाभान्वित होगें ।

(श्री विजय ठाकुर, गैर सरकारी सदस्य बोर्ड)

निर्णय : **कन्डूहल कुहल को पक्का करने हेतु उपायुक्त कांगड़ा को कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु उचित कार्यवाई के आदेश पारित किए गए ।**

पशु औशधालय रछियाड़ा से श्री प्रभात चन्द के घर की ओर (हरिजन बस्ती) जीप योग्य सड़क निर्माण कार्य की रिपोर्ट भेजने के आदेश भी दिए गए ।

(उपायुक्त कांगड़ा)

25. **ग्राम पचायत बन्दला के अन्तर्गत काली नाले व महोग नामक सोर्स से पानी की पाईप लाईन डाली जाएः**– गांव खिल, खाबर, खुडी, थान, फफरू गोट, चुचार , बसेईल इत्यादि गांव के लिए पानी की बहुत बड़ी समस्या है । यदि काली

नाले व महोग नामक सोर्स से पानी की पाईप लाईन डाली जाती है तो कम से कम 165 परिवारों को पानी की व्यवस्था हो सकेगी , क्योंकि ग्राम पंचायत बन्दला द्वारा जो पनिहारे व बावड़ियां बनाई गई है वहां से कम से कम 1 या 2 कि0मी0 पीठ पर पानी उठाकर पीने के लिए व मवेशियों के लिए लाना पडता है ।

(श्री अक्षय कुमार, गैर सरकारी सदस्य बोर्ड)

विभागीय उत्तरः सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग) ने बैठक में अवगत करवाया कि इस परियोजना हेतु 42 लाख का estimate **स्वीकृत** कर दिया गया है व उसका कार्य **शीघ्र** आरम्भ कर दिया जाएगा ।

निर्णयः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद्द समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

(सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग)

26. **राजपूत समुदाय द्वारा देश और प्रदेश की सुरक्षा के लिए किये गये बलिदान पर विवरणिका प्रकाशित की जाए :–** राजपूत समुदाय द्वारा देश और प्रदेश की सुरक्षा हेतु जितने भी बलिदान दिए गये हैं उनके सम्बन्ध में एक विवरणिका प्रकाशित की जाए ।

(श्री प्रेम सिह ठाकुर, / श्री मोहिन्द्र सिंह खांगटा गैर सरकारी सदस्य बोर्ड)

विभागीय उत्तरः– विवरणिका प्रकाशन हेतु प्रारूप प्राप्त नहीं हुआ है ।

निर्णयः– अध्यक्ष महोदय द्वारा बोर्ड के सदस्यों को विवरणिका प्रकाशित करने हेतु प्रारूप तैयार करने को कहा व प्रारूप प्राप्त होने के पश्चात ही विवरणिका छपवाने हेतु उचित कायरवाई की जा सकेगी । अतः चर्चा उपरान्त मद्द समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

(सामान्य प्रशासन)

27. Amendment in the present Atrocity Act.

(Sh. K.S.Jamwal, non official member)

विभागीय उत्तरः–

पुलिस विभागः– यदि प्रिवेन्शन आफ एटरोसिटी एक्ट के अन्तर्गत शिकायत झूठी साबित हो तो दर्ज किये गये मामले में रदद् रिर्पोट तैयार की जाती है और शिकायतकर्ता के खिलाफ धारा 182 द0 प्र0 स0 के अन्तर्गत कार्रवाई किये जाने का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त अन्वेषण के दौरान यदि दर्ज किये मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत जुर्म साबित न हो तो इस अधिनियम की धारा अभियोग से हटाई जाती है। शिकायत झूठी साबित होने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याजार निवारण अधिनियम 1989 व नियम 1995 के अन्तर्गत कार्रवाई करने का कोई प्रावधान

नहीं है इसलिए इस अधिनियम में संशोधन किया जाना उचित है ताकि झूठे तथा राजनैतिक द्वेष से उत्पन्न मामलों पर अंकुश लगाया जा सके ।

प्रिवेनशन आफ एटरोसिटी एक्ट में संशोधन बारे सचिव,सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग ने अवगत करवाया कि यह केन्द्र का अधिनियम है जिसमें राज्य सरकार द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता ।

निर्णयः विस्तृत चर्चा उपरान्त विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद्द समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

(सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग)

28. क) **चुनावी प्रकिया में आरक्षण** :—पंचायतों में आरक्षण की प्रकिया ने प्रजातन्त्र को काफी हद तक प्रभावित कर दिया है। इस आरक्षण ने योग्य से योग्य व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया है । मतदाताओं को जानवूझ कर अपनी पसन्द को दरकिनार कर जवरदस्ती अपने मत का प्रयोग करना पड़ रहा है । योग्य से योग्य व्यक्ति चुनाव लडने से वचिंत हो रहे है । अगर आरक्षण रखना ही है तो कम से कम प्रधान तथा उप प्रधान के पद को आरक्षण से दूर रखा जाए ताकि गांव में रहने वाली सभी जातियां निसंकोच योग्य व्यक्ति को चुन सकें ।

ख) **आरक्षण सिर्फ पांच वर्ष के लिए ही होना चाहिए**:—इसे दस वर्ष के लिए करना न तो जनहित में है और न ही लोकतन्त्र के हित में ।

ग) आरक्षण रोस्टर सिर्फ पंचायत प्रतिनिधियों तक ही सीमित न होकर विधान सभा सदस्यों तथा लोकसभा सदस्यों पर भी लागू होना चाहिए ।

घ) महिला आरक्षण एक तरफा होनी चाहिए न कि ओपन महिला के लिए अलग अनुसुचित जाति महिला के लिए अलग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए अलग ।

ड.) जब कोई सीट सामान्य वर्ग से होती है तो उस सीट पर आरक्षित वर्ग का व्यक्ति भी चुनाव लड़ लेता है यहां तक कि महिला भी चुनाव मैदान में होती है परन्तु जब सीट आरक्षित होती है तो उस सीट पर आरक्षित वर्ग का ही अधिकार होता है । ऐसा क्यों ? इस व्यवस्था में सुधार किया जाए। ओपन सीट पर आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए ।

(श्री यशवीर सिंह पटियाल, गैर सरकारी सदस्य बोर्ड)

विभागीय उत्तरः पंचायती राज विभाग द्वारा अवगत करवाया गया कि नियमानुसार प्रत्येक स्तर पर चुनाव के दौरान उचित आरक्षण दिया जा रहा है ।

निर्णयः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद्द समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

(पंचायती राज विभाग)

29. **सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग में परीक्षा में प्रवेश हेतु फीस में भिन्नता न रखी जाएः–** किसी भी प्रकार की परीक्षा में प्रवेश हेतू सरकार द्वारा निर्धारित राशि जिसमें सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग में ज्यादा भिन्नता रखी है इसे भी कम किया जायें, क्योंकि सामान्य वर्ग से सम्बन्धित गरीब घरों के बच्चे फीस अधिक होने की वजह से प्रतियोगिताओं में प्रवेश लेने में असमर्थ हो जाते है इस कारण वे नौकारी से वंचित रह जाते है ।

(श्री गंगा ठाकुर, गैर सरकारी सदस्य बोर्ड)

निर्णयः विस्तृत चर्चा उपरान्त रियायती दरों पर प्रवेश शुल्क का लाभ आर्थिक आधार पर दिए जाने का निर्णय लिया गया।

(समस्त सम्बन्धित विभाग)

30. हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी भूमि होने से खेती की Productivity कम पड़ती जा रही है क्योंकि Holdings का size घटता जा रहा है व Erosion बढ़ता जा रहा है। अतः भूमि के रक्बा को ही आधार मानना पूर्णतया ठीक न मान कर आय के माप–दण्डो को दोहराने पर विचार हो।

(श्री पुरूषोत्तम ठाकुर, गैर सरकारी सदस्य बोर्ड)

निर्णयः सम्बन्धित विभाग को मामले की जान्च के आदेश पारित किए गए ।

(राजस्व विभाग)

31. श्री बलबीर सिंह , माननीय विधायक एवं सदस्य राजपूत कल्याण बोर्ड द्वारा उठाए गए मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए अध्यक्ष महोदय ने विलुप्त होती **ठोडो खेल** (तीर–कमान) को राजकीय सरंक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया । जिसके लिए युवासेवा एवं खेल विभाग द्वारा उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ।

विभागीय उत्तरः

युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा ठोडो खेल को Indigenous Games में शमिल करने पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के मामले को भारत सरकार से पत्र दिनांक 29.10.2014 द्वारा उठाया गया था । इस सन्दर्भ में भारत सरकार ने Himalayan Region Sports Festival (HRSF) Scheme बनाई है जिसके अनुसार आसाम सरकार तथा मणिपुर सरकार Himalayan Region Sports Festival को Annually Host करेंगी जिसके लिए 100% वित्तीय सहायता भारत सरकार प्रदान करेगी ।

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा मु0 50,000/– रूपये की राशि वर्ष 2015 में ग्राम पंचायत भरबोग मशोबरा ब्लॉक जिला शिमला को पोशाकें तथा अन्य ठोडो से सम्बन्धित खेल सामान क्रय करने हेतु उपलब्ध करवाई गई है ।

निर्णयः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद्द समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

(युवा सेवा एवं खेल विभाग)

मद्द संख्या 2: तृतीय बैठक हेतु प्राप्त नई मददें:–

2(1). आरक्षण:– राजपूत समुदाय के गरीब व गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को गोरखा समुदाय की तरह प्रथम व द्वितीय श्रेणी के पदो के लिए 12 प्रतिशत और तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदो के लिए 18 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाये।

(श्री दिल सुख ठाकुर)

(कार्मिक विभाग)

विभागीय उत्तरः

मद संख्या 1 पर पूर्व में हुई चर्चा के दृष्टिगत मद्द समाप्त कर दिया गया है ।

2(2). **गरीब छात्र–छात्राओं को शिक्षण संस्थानों में छूट:–**राजपूत समुदाय के गरीब व गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों के छात्र–छात्राओं को अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र–छात्राओं जैसी सभी सुविधायें सभी शिक्षण संस्थानों में तत्काल प्रभाव से प्रदान की जाये।

(श्री दिल सुख ठाकुर)

निर्णयः मद संख्या 1(5) पर पूर्व में हुई चर्चा के दृष्टिगत मद्द समाप्त कर दिया गया है ।

(शिक्षा विभाग)

2(3). **ग्राम पंचायत सपैड़ू के प्राईमरी व मिडल स्कूल की इमारत पक्की करने बारे:–** ग्राम पंचायत सपैड़ू तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा में एक प्राईमरी व मिडल स्कूल है , जिनकी कुछ इमारतें बहुत ही पुरानी व जर्जर है इन इमारतों को बदल कर पक्की इमारत बनाई जाए ।

(श्री विजय ठाकुर)

निर्णयः प्रस्ताव पर विचार किये जाने का निर्णय लिया गया ।

(शिक्षा विभाग)

2(4). **उच्च विद्यालय बन्दला के लिए 4 कमरे स्वीकृत करने बारे:–** जिला चम्बा के मिडल स्कूल बन्दला का दर्जा बढ़ाकर उच्च विद्यालय कर दिया गया है, इस हाई स्कूल बन्दला में चार ही कमरे है जिसमें बच्चों को बैठने में दिक्कतों का सामना करना पड रहा है। अतः गांववासियों की मांग है कि इस स्कूल के लिए 4 कमरे ओर स्वीकृत किए जाए ताकि बच्चों को कमरे में बैठने की सुविधा हो सके ।

(श्री अक्षय कुमार)

निर्णयः प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करते हुए उचित कार्रवाई किये जाने के निर्देश पारित किए गए ।

(शिक्षा विभाग)

2(5). **मिडल स्कूल लकडा के लिए 4 कमरे स्वीकृत करने बारेः–** जिला चम्बा के मिडल स्कूल लकड़ा को 2014 में मिडल स्कूल की स्वीकृति प्रदान की गई परन्तु स्कूल के पास एक कमरा तक नही है छात्र व छात्राएं किसी दूसरे स्थान में बैठ कर पढ़ाई कर रहे है । अतः लकड़ा गांववासीयों द्वारा 5 बिस्वा जमीन मिडल स्कूल लकड़ा के नाम स्थानान्तरित करवा दी गई है । मिडल स्कूल लकड़ा के लिए चार कमरे स्वीकृत किए जाए।

(श्री अक्षय कुमार)

निर्णयः प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करते हुए उचित कार्रवाई किये जाने के निर्देश पारित किए गए ।

(शिक्षा विभाग)

2(6). **सब्सिडी बारे :–**राजपूत समुदाय के गरीब व गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवारों की तरह पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य, बागवानी और कृषि आदि सभी क्षेत्रों में मकान तथा अन्य सामग्री लेने के लिए सब्सिडी आदि सभी सुविधायें तत्काल प्रभाव से प्रदान की जाये।

(श्री दिल सुख ठाकुर)

निर्णयः–माननीय मुख्यमन्त्री महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि सब्सिडी की सुविधा आर्थिक आधार पर प्रदान करने हेतु सम्बन्धित विभाग विचार करेगा।

(पंचायती राज विभाग)

2(7). **राजस्व रिकार्ड में काबिज करने बारे व पटटा राशि नियम 8(3) डी के अनुसार 1 रू0 प्रतिवर्ष की जाए :–**हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अतिक्रमण मसले पर हाई पावर कमेटी की बैठक माननीय राजस्व मन्त्री श्री कौल सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में 24.12.2016 को तपोवन में हुई थी । उसमें किसानों, बागवानों व शामलात भूमि वाले व्यक्तियों को राहत देने पर चर्चा की गई । इस सन्दर्भ में प्रोविंशियल सरकार,, जिसमें जिला कुल्लू के हिमाचल में मिले इलाकों का सन्दर्भ है, की गैर मुमकिन आबादी की राजस्व रिकार्ड में काश्त किसी अन्य के नाम पर है और मौके पर कई सालों से मकान बनाकर काबिज अन्य व्यक्ति है । लेकिन इस बारे निवेदन है कि हाई पावर कमेटी को कहा जाये कि प्रोविशियल गवर्नमैट की गैर मुमकिन आबादी के मालिक बनाने का प्रावधान उस व्यक्ति के पक्ष में किया जाये जो मौका पर काबिज है और मकान बनाकर कई वर्ष से रह रहा हो । इस तरह के जिला कुल्लू व रामपुर के

साथ जगातखान व ब्रौ में कई केस है । राजपूत कल्याण सभा पालमपुर की भूमि की पटटा राशि पटटा नियम 8(3) डी के अनुसार 1 रू0 प्रतिवर्ष की जाए ।

(श्री दिल सुख ठाकुर,, श्री जगरूप सिंह राणा)

(राजस्व विभाग)

निर्णयः सम्बन्धित सदस्य को प्रस्ताव विभाग को भेजने हेतु कहा गया व सम्बन्धित विभाग को मामले की जांच कर उचित कार्रवाई के किये जाने के निर्देश पारित किए गए ।

2(8). Restoration or providing adequate link passages alongwith proper connectivity to the adjoining lands, Ghasnis and residential houses belonging to Rajput families of village Rasmain around the acquired area of Jawahar Lal Nehru Govt., Engineering College Sunder Nagar.

(K.S.Jamwal)

निर्णयः प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करते हुए उचित कार्रवाई किये जाने के निदेश पारित किए गए ।

(Revenue Deptt./ DC Mandi)

2(9). **ग्राम पंचायत सपैड़ू में समुदायिक भवन के निर्माण के लिए बजट उपलब्ध करवाने व राजपूतो से सम्बन्धित म्यूजियम बनाने बारेः–** ग्राम पंचायत सपैडू तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा में नागवासनी माता के मन्दिर के प्रांगण में समुदायिक भवन के निर्माण के लिए बजट उपलब्ध करवाने की कृपा करें । बजट का आंकलन लगभग दस लाख आंका गया है । राजपूतों से सम्बन्धित किया कलापों का उसमें प्रयुक्त प्राचीन वस्तुओं जैसे शस्त्रास्त्र , कृषि एवं अन्य औजार तथा वस्तुओं से सम्बन्धित म्यूजियम बनाया जाए।

(श्री विजय ठाकुर, श्री जगरूप सिंह राणा)

(लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग / भाषा एवं संस्कृति विभाग / उपायुक्त कांगड़ा)

निर्णयः **सम्बन्धित विभाग को प्रस्ताव की जांच के आदेश पारित किए गए ।**

2(10). **सुकेती खण्ड के पानी की स्कीम बारेः–** जिला मण्डी के सुकेती खडड् के आस पास की बंजर पड़ी भूमि में कई सालों से चैनेलाईजेशन की स्कीम चली है परन्तु अभी तक काम पूरा नही हुआ है। शीघ्र काम पूरा करने बारे आदेश देने की कृपा करें।

(श्री बलबीर गुलेरिया)

विभागीय उत्तरः

सम्बन्धित विभागीय सचिव ने अवगत करवाया कि इस परियोजना के लिए 800 करोड़ रूपए का बड़ा **estimate** है जिसे स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजा गया है ।

निर्णयः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद्द समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

(सिंचाई एवं जनस्वाथ्य विभाग)

2(11). **सड़क निर्माण हेतुः– (i)** लो0नि0वि0 मण्डल आउटर सिराज (निरमण्ड) जिला कुल्लू में देवता भैंरो वीर मंदिर से गांव भड़ैल–1, भड़ैल–2 (मड़ेधार) छोहटू–1 व छोहटू–2 तथा अपर थाचवा तक 5 कि0मी0 लम्बी सड़क का निर्माण किसी भी योजना के अर्न्तगत माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की प्राथमिकता में डालने या मुख्यमन्त्री सड़क योजना के अर्न्तगत डाला जाये । जिसका सर्वे व आंकलन अधिशाषी अभियन्ता लो0नि0वि0 निरमण्ड द्वारा तैयार करवा दिया गया है । निवेदन है कि अधिशाषी अभियन्ता निरमण्ड को उपरोक्त सड़क का निर्माण करने के लिए आगे की कार्रवाई करने के आदेश जारी करने की कृपा करें ।

(श्री दिल सुख ठाकुर)

(ii) ज्वाली का शहीद श्री अजीत सिंह (ला0 नायक) सपुत्र रिटायर्ड सूबेदार बाबू राम गुलेरिया जम्मू के कुपवाड़ा में शहीद होने पर लाहड़ू, मरियाणा , हरिद्वार, मलेला सड़क जो कि शहीद के गांव से गुजरती है पक्का करने का अश्वासन दिया गया था । मगर अभी तक पक्का नहीं किया गया । लोक निर्माण विभाग ज्वाली के माध्यम से उपायुक्त कांगड़ा को पत्र संख्या 765–66 दिनांक 27.6.2013 को 9.30 लाख रूपये का प्राक्लन सड़क को पक्का करने का भेजा गया था लेकिन 1.50 लाख रूपये ही मिले ।

(श्री रशपाल सिंह ठाकुर)

निर्णयः दोनों प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई व सम्बन्धित विभाग(**ENC**) को उचित कार्यवाही के निर्देश पारित किए गए ।

(लोक निमार्ण विभाग/उपायुक्त कांगड़ा)

2(12). **पुल बनवाने बारे** :–ग्राम पंचायत सपैडू तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा के टीका भलाहड के साथ अवा खड्ड बहती हैं। इस खड्ड को पार करने के लिए एक पुल बनाया जाना अति आवश्यक है जिसके बनने से क्षेत्र की लगभग 6 पंचायतों के लोगो को फायदा होगा क्योंकि आम आदमी इस रास्ते का प्रयोग करते है तथा स्कूली बच्चे भी इसी खड्ड को पार करके स्कूल जाते है ।

(श्री विजय ठाकुर)

निर्णयः विभागीय प्रतिनिधि द्वारा अवगत करवाया गया कि इस पुल को बनवाने का अनुमानित व्यय अनुमोदित हो चुका है व निर्माण कार्य आबंटित करने हेतु टेन्डर मांगे जा चुके है। अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त करने का निणय लिया गया।

(लोक निर्माण विभाग)

2(13). हाईडल प्रोजेक्ट कम्पनी द्वारा लाडा का पैसा जमा करवाने बारेः– पालमपुर उप मण्डल के अर्न्तगत सुभाष प्रोजेक्टस एण्ड मार्केटिंग द्वारा अवा पावर कम्पनी व न्यूगल पावर कम्पनी के नाम से दो हाईडल प्रोजेक्ट स्थापित किए है तथा दोनो प्रोजेक्ट की Commissioning भी हो गई है । पिछले लगभग दो सालो से दोनो प्रोजेक्ट विद्युत का उत्पादन कर रहे है । उक्त कम्पनियों द्वारा लाडा का पैसा जमा नहीं करवाया जा रहा है । अब तक कितना पैसा जमा हुआ है तथा बाकी कितना जमा करवाना है इसका विवरण दिया जाए । बार बार सरकार के ध्यान में यह मामला लाया जाता है लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उप मण्डलाधिकारी, पालमपुर ने भी उक्त कम्पनी को पैसा (LADA) जमा करने के लिए कई बार आदेश दिए है लेकिन कम्पनी प्रबन्धन पैसा जमा नही करवा रही है ।

(श्री विजय ठाकुर)

निर्णयः **विभागीय उत्तरः– इस विशय पर कार्रवाई State Regulatory Authority द्वारा की जा रही है । अतः मद्द समाप्त करने का निर्णय लिया** गया।

(बहुद्देशीय परियोजनायें एवं ऊर्जा)

2(14). बिजली के मीटर रेन्ट बारेः– जनता बिजली मीटर का पूरा खर्चा देती है अतः मीटर रैन्ट नही लगना चाहिए ।

(श्री बलबीर गुलेरिया)

विभागीय उत्तरः अति०मुख्य सचिव महोदय ने अवगत करवाया कि यदि बिजली मीटर अपने नाम का निजि हो तो तो कोई किराया नहीं लिया जाता।

निर्णयः **विस्तृत चर्चा उपरान्त मद्द समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।**

(बहुद्देशीय परियोजनायें एवं ऊर्जा)

2(15). वन भूमि में पार्क बनाने बारेः– ग्राम पंचायत सपैड़ू तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा के टीका रछयाडा में वन विभाग द्वारा लगभग 25 करनाल भूमि में तार बन्दी की गई है । इस भूमि में एक (Inspection Hut) बनाया जाए तथा इस में समारक या पार्क बनाया जाए जिसका नाम क्षेत्र के शहीद श्री जीत सिंह के नाम पर रखा जाए ।

(श्री विजय ठाकुर)

निर्णयः सम्बन्धित विभाग द्वारा जान्च का निर्णय लिया गया ।

(वन विभाग / उपायुक्त कांगड़ा)

2(16). **गौ सदन बारेः–** गौ सदन पंचायत –वार होना अनिवार्य है ।

(श्री बलबीर गुलेरिया)

निर्णयः– सचिव पशुपालन द्वारा सदस्यों को अवगत करवाया गया कि सरकार द्वारा प्रत्येक ब्लॉक में तीन गोसदन खोले जाएंगे ।

आवारा पशुओं की समस्या को सुलझाने हेतु माननीय वन मंत्री द्वारा सभी को सहयोग देने का आग्रह किया गया।

पशुधन पंजिकरण हेतु सरकार की नीति को पूर्णतयः कार्यान्वित किए जाने हेतु हर क्षेत्र के लोकल व्यक्ति को सम्मिलित किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किए जाने हेतु आदेश पारित किए गए ।

(पशु पालन विभाग)

2(17). **आरक्षित चुनाव क्षेत्र से राजपूत समुदाय के व्यक्ति को** सरकार में भागीदारी दिए जाने **बारेः–**आरक्षित चुनाव क्षेत्र से राजपूत समुदाय के व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश राज्य के बोर्डों /निगमों ओर अन्य सलाहकार समितियों में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदो के माध्यम से सरकार में प्रतिनिधित्व / भागीदारी प्रदान की जाए।

(श्री मान सिंह)

(समस्त प्रशासनिक विभाग)

निर्णयः चर्चा उपरान्त मद समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

2(18). **बन्दूक लाईसैन्स फीस बारेः–**बन्दूक लाईसैन्स के नवीनीकरण करने हेतु फीस मु0 60/– व 100/– रूपये से बढ़ा कर सरकार द्वारा मु0 1600/– रूपये कर दी गई है व लाईसैन्स केवल तीन वर्ष तक मान्य रखा गया है जो कि उचित नहीं है । अतः सरकार के इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए

(श्री कृष्ण लाल वर्मा)

निर्णयः मामले पर पुनः विचार करने का निर्णय लिया गया ।

(गृह विभाग)

अतिरिक्त मुद्दाः सदस्यों द्वारा उठाए गए अतिरिक्त मदों जिसमे उना के गांव संघनेई में consolidation का मुददा, कल्लड में पानी की समस्या, तथा सदस्यों को दिए जा रहे TA/DA की दरों को बढ़ाने आदि शामिल है , बारे लिखित आवेदन पर सम्बन्धित विंभाग को जांच / आवश्यक कार्रवाई के आदेश पारित किए गए ।

माननीय मंत्री श्री सुजान सिहं पठानिया के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई ।

उप सचिव (सामान्य प्रशासन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।